ई–मेल

प्रेषक,

डा0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः29 फरवरी, 2024

विषयः– **उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अधीन टाउनशिप परियोजना में महायोजनान्तर्गत 'कृषि' उपयोग से 'आवासीय' में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास हेतु निजी पूंजी निवेश के माध्यम से टाउनशिप के विकास के लिए शासनादेश संख्या–1559/आठ–3–23–172 विविध/2016 टी.सी. दिनांक 05.07.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति–2023 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर–3.5(3) में यह प्राविधान है कि टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ अथवा इससे अधिक होने पर महायोजनान्तर्गत 'कृषि' उपयोग में भी अनुमति प्रदान की जाएगी, जिस हेतु नियमानुसार 'आवासीय' में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। भू–उपयोग परिवर्तन की समयवद्ध कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम की धारा–51(1) के अन्तर्गत निहित शासन की शक्तियों का प्रतिनिधायन प्राधिकरण बोर्ड को किया जाएगा।

**2–** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के प्राविधानों के कम में उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के अधीन पात्र ऐसे लाइसेंस धारक विकासकर्ता, जिनके द्वारा प्रस्तावित टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ अथवा इससे अधिक है, का भू–उपयोग सम्बन्धित विकास क्षेत्र की महायोजना में 'कृषि' होने की दशा में उसका भू–उपयोग उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करते हुए 'आवासीय' में परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनियम की धारा–51(1) के अधीन निहित शासन की शक्तियों का प्रतिनिधायन प्राधिकरण बोर्ड को किया जाता है।

**3–** कृपया उपरोक्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally Signed by डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 29-02-2024 13:13:34
Reason: Approved
(डा0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

**1.** अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**2.** प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
**3.** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
**4.** समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
**5.** समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
**6.** समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
**7.** अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
**8.** नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।
**9.** मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
**10.** निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
**11.** गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
**डा0 नितिन रमेश गोकर्ण**
अपर मुख्य सचिव